बारिश में झोपड़ी गिरी, दबकर किशोरी की मौत, मां घायल

<< मृतका 17 वर्षीय रिंकी • स्वजन

- जबतक ग्रामीण पहुंचते तबतक हो चुकी थी बहुत देर, बारिश के चलते नहीं आई आवाज
- मोहनलालगंज के गदियाना गांव की घटना, एक वर्ष पहले हादसे में हुई थी भाई की मौत

जागरण टीम • लखनऊ : मोहनलालगंज के गदियाना गांव में बुधवार देर रात तेज बारिश के दौरान फूस की झोपड़ी भरभराकर गिर गई। मलबे में दबकर 17 वर्षीय रिंकी की मौत हो गई, जबकि उसकी मां विंध्यादेई घायल हो गईं। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और मलबा हटाकर दोनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक रिंकी की सांसें थम चुकी थीं।

गदियाना निवासी गोकुल प्रसाद मोहनलालगंज कोतवाली में चौकीदार हैं। बुधवार को वह थाने में ड्यूटी पर थे। घर पर उनकी पत्नी विंध्यादेई और बेटी रिंकी मौजूद थीं। बुधवार रात 11:30 बजे तेज बारिश के बीच दोनों मां-बेटी झोपड़ी में सो रही थीं। अचानक झोपड़ी भरभराकर गिर गई और दोनों मलबे में दब गईं। विंध्यादेई किसी तरह मलबे से बाहर निकलीं और शोर मचाकर मदद मांगी। आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़े और मलबा हटाकर रिंकी को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। झोपड़ी के बगल में कमरे की टिन की छत से पानी टपकने के कारण परिवार झोपड़ी के नीचे सो रहा था। करीब एक वर्ष पहले शहीद पथ पर सड़क हादसे में बेटे की मौत हो गई थी।

गोवंशी पशु को मारने वाले तीन हिरासत में

जागरण संवाददाता • लखनऊ: ठाकुरगंज के न्यू हैदरगंज में बंद पड़ी धान मिल में गोवंशी पशु (सांड़) को मारकर अराजकतत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। बुधवार देर रात घटना की जानकारी पर क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। कई थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। भीड़ ने कार्रवाई की मांग को लेकर नाराजगी जताई। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को शांत कराया और सीसी फुटेज और सर्विलांस की मदद से गुरुवार तड़के तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया है।

न्यू हैदरगंज में वर्षों से बंद पड़ी धान मिल में बुधवार देर रात केयरटेकर ने गोवंश का शव पड़ा देखा तो पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। जानकारी पर आसपास के लोग जुटने लगे। लोगों का कहना था कि सावन के पवित्र माह में क्षेत्र का माहौल खराब करने का प्रयास किया गया है। पुलिस ने तत्काल फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया। शव को नियमानुसार दफना दिया गया।

किशोरी को भगाने वाला गिरफ्तार

संसू, जागरण • मोहनलालगंज : पीड़ित ने शिकायत कर आरोप लगाया कि 16 वर्षीय बेटी को मोहनलालगंज के निशा ढाबा के पीछे रहने वाला रोशन सिंह अपने साथ ले गया। मोहनलालगंज पुलिस ने दो दिन पूर्व मुकदमा दर्ज कर आरोपित को जेल भेजा।

महिला व उसके बेटों से मारपीट, मुकदमा

संसू, जागरण • मोहनलालगंज : जबरौली निवासी ताज मोहम्मद का आरोप था कि रविवार को उनके गांव के कलूटे, वाहिद, हसन व उसके बेटे आसिफ सहित अन्य ने मिलकर परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें उनकी पत्नी और बेटों को चोटे आई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मारपीट का एक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया।

घर में घुसकर किया दुष्कर्म, फिर किशोरी पर चाकू से किए 15 वार

छह महीने से बातचीत बंद होने से बौखला गया था आरोपित

- पूछताछ में आरोपित ने बताई पूरी कहानी, भेजा गया जेल
- लोगों को संदेह न हो इसलिए बेहोश होने का किया नाटक

जागरण संवाददाता • लखनऊ: पारा में घर में घुसकर बीसीए प्रथम वर्ष की छात्रा की हत्या का गुरुवार को राजफाश हो गया। पुलिस पूछताछ में आरोपित देवांश पाठक ने वारदात कबूल करते हुए बताया कि वह और किशोरी आपस में गहरे दोस्त थे, लेकिन बीते कई दिनों से किशोरी ने उससे बात करना बंद कर दिया। इसके अलावा उसे किशोरी का किसी और से फोन पर बात करना भी पसंद नहीं था इसलिए दोपहर को मौका पाकर घर में घुसा और दुष्कर्म के बाद ताबड़तोड़ किशोरी पर चाकू से 15 वार कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस और अन्य लोगों को संदेह न हो इसलिए खुद बेहोश होने का नाटक करने लगा।

पुलिस पूछताछ में आरोपित देवांश पाठक ने बताया कि किशोरी से पहले गहरी दोस्ती थी, लेकिन कुछ समय से किशोरी ने बातचीत बंद कर दी थी। इससे मन में शक और गुस्सा बढ़ता गया। पांच अगस्त को किशोरी के माता-पिता गांव जबकि बड़ी बहन कालेज गई थी। किरायेदार भी नहीं था। मौका पाकर वह किशोरी के घर में घुसा और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने देवांश को जेल भेज दिया है। इंस्पेक्टर पारा सुरेश सिंह ने बताया कि पुलिस ने बीएनएस की धारा 66 और पाक्सो एक्ट की धारा 5/6 बढ़ाई है। घटना में इस्तेमाल चाकू और आरोपित के खून से सने कपड़े भी बरामद किए गए हैं। देवांश और किशोरी दोनों ने हाल ही में निजी कालेज में बीसीए में दाखिला लिया था। इंस्पेक्टर ने बताया कि देवांश ने हत्या की बात स्वीकार की है। पोस्टमार्टम में स्लाइड भी बनाई गई है। घटनास्थल से फोरेंसिक टीम ने वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं। सीसी कैमरों की फुटेज और मेडिकल रिपोर्ट को भी विवेचना में शामिल किया जा रहा है।

बहन ने खोला दरवाजा तो सामने पड़ा था शवः दोपहर में बड़ी बहन कालेज से घर लौटी तो मुख्य दरवाजा बाहर से बंद मिला। कई बार आवाज देने के बाद भी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो उसने किसी तरह दरवाजा खोला। कमरे में पहुंचते ही उसे स्मृति का रक्तरंजित शव दिखाई दिया। पास ही देवांश अचेत अवस्था में था। पुलिस ने उसे अभिरक्षा में लेकर अस्पताल भेजा था।

सीनियर डीसीएम ने मारा प्रयागराज इंटरसिटी में छापा

जासं • लखनऊ : ट्रेनों में बेटिकट चलने वाले यात्रियों पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर रेलवे के सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता ने स्वयं गुरुवार को छापा मारा। सीनियर डीसीएम ने प्रयागराज इंटरसिटी में जांच की तो लखनऊ से यात्रा करते हुए 78 यात्री बेटिकट मिले। इन बेटिकट यात्रियों से रेलवे ने 42 हजार रुपये जुर्माना वसूला। शिकायत मिल रही थी कि ट्रेन में बेटिकट यात्रियों की संख्या बढ़ी है।

फरार चल रही सास को भेजा जेल

संसू, जागरण • मोहनलालगंज : हुलासखेड़ा में विवाहिता की मौत के मामले में मोहनलालगंज पुलिस ने गुरुवार को सास को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पुलिस पूर्व में पति और उसके ससुर को जेल भेज चुकी है। बिजनौर थाना क्षेत्र निवासी मनोज की बेटी सीमा का विवाह चार महीने पूर्व हुलासखेड़ा निवासी अमित कुमार से हुआ था। 25 जुलाई को सीमा की संदिग्ध मौत हो गई थी। सीमा के पिता मनोज ने पति सहित ससुरालजन पर दहेज के लिए हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।

कैफे की आड़ में हुक्काबार पर छापा, दो गिरफ्तार

जासं • लखनऊः किसान बाजार स्थित फैशन टीवी कैफे की आड़ में चल रहे हुक्का बार पर विभूतिखंड पुलिस ने छापा मारा। भगदड़ का फायदा उठाकर संचालक व कैफे मालिक भाग निकले। पुलिस ने मौके से दो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। मौके से आठ बड़े हुक्के, छह छोटे हुक्के, 13 पाइप, 14 चिलम, फ्लेवर्ड तंबाकू, चारकोल और अन्य सामान बरामद किया है। विभूतिखंड पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर हुक्का बार के संचालक व कैफे मालिक की तलाश कर रही है।

एसीपी विभूतिखंड सौम्या पांडेय ने बताया कि कुछ दिनों से किसान बाजार स्थित फैशन टीवी कैफे में चल रहे हुक्का बार की सूचना मिल रही थी। बुधवार देर रात इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह, उपनिरीक्षक इरशाद अहमद व अन्य पुलिसकर्मियों के साथ गश्त कर रहे थे। सूचना पर पुलिस पहुंची तो अफरा-तफरी मच गई। सभी भाग निकले। पुलिस ने दो कर्मचारियों को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपितों ने अपना नाम राबिन और अर्जित पाण्डेय बताया। छानबीन में पता चला कि भगदड़ के दौरान संचालक शारिब शेख भाग गए हैं। आरोपितों ने बताया कि वे कैफे मालिक आरिफ और संचालक शारिब शेख के इशारे पर ग्राहकों को हुक्के परोसते थे। इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह ने बताया कि उपनिरीक्षक की तहरीर पर सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम की रिपोर्ट दर्ज कर ली गयी है।

PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PIU)-Forest

UTTARAKHAND DISASTER PREPAREDNESS AND RESILIENCE PROJECT (UPREPARE)
5th Floor, USDMA Building, 36 IT Park, Sahastradhara Road, Dehradun
Website : www.u-prepare.com, Email : procurement.uprepare@gmail.com

Ref. No: 103/03/QR/RFB/PIU-Forest/U-PREPARE/2025-26 Date: 06/08/2026

Request for Bids

The Government of India has received financing from the World Bank towards the cost of the Uttarakhand Disaster Preparedness and Resilience Project (UPREPARE). PIU-Forest, an implementing agency of U-PREPARE intends to apply part of the proceeds for the procurement of goods under the following package.
The bid document in English may be downloaded by interested eligible bidders from the website **https://uktenders.gov.in** from **07.08.2026**.

S. No.	Package No.	Name of Package	Method of Procurement
1	03/QR/RFB/PIU-Forest / U- PREPARE/ 2025-26	Procurement for the Supply of 25 Quick Response Team Vehicles for Forest Fire Crew under PIU-Forest, U- PREPARE	Request for Bids (RFB)

Note: - 1. Any corrigendum/addendum to the above package shall be uploaded on the website **www.uktenders.gov.in**. 2. For any clarification or information, bidders may contact- **piuforestuprepare@gmail.com**

Program Manager

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ

सत्यमेव जयते

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

विश्वास-2026 (VISHWAS-2026)

एकमुश्त विवाद निस्तारण योजना

लंबित क्षतिपूर्ति (Damages) मामलों के निस्तारण का सुनहरा अवसर

विश्वास-2026 क्या है ?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा क्षतिपूर्ति (Damages) से संबंधित लंबित मामलों के एकमुश्त निस्तारण के लिए प्रारम्भ की गई विशेष योजना। इस योजना से नियोक्ताओं को कम क्षतिपूर्ति में मामलों का निस्तारण करने तथा अनावश्यक मुकदमेबाजी से राहत मिलेगी।

योजना की अवधि

06 माह

(29 जून 2026 से प्रभावी)

किन मामलों पर लागू होगी?

14 जून 2024 से पूर्व की चूक (Default) वाले मामले
- न्यायालय/न्यायाधिकरण में लंबित मामले
- क्षतिपूर्ति का आदेश हो चुका है, पर वसूली शेष है
- नोटिस जारी हो चुका है, पर अंतिम आदेश पारित नहीं हुआ है
- ऐसे मामले जिनमें अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है

प्रमुख विशेषताएं एवं लाभ

- **रियायती दरें:** क्षतिपूर्ति राशि में भारी वित्तीय छूट।
- **समयबद्ध समाधान:** लंबे समय से लंबित विवादों का त्वरित निस्तारण।
- **वित्तीय राहत:** नियोक्ताओं को बकाया मुकदमों से मुक्ति।
- **अनुपालन में सुधार:** प्रतिष्ठानों को अपना EPF अनुपालन नियमित करने का अवसर।
- **सरल आवेदन:** निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा त्वरित लाभ।

महत्वपूर्ण शर्तें

- पूर्ण ब्याज (Interest) धारा 7Q का भुगतान अनिवार्य होगा।
- योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु नियोक्ता को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा।
- निस्तारण के पश्चात आगे किसी भी न्यायिक कार्यवाही का दावा नहीं किया जाएगा।
- धोखाधड़ी, जानबूझकर डिफॉल्ट व अन्य अपवर्जित मामलों पर यह योजना लागू नहीं होगी।
- योजना की स्वीकृति EPFO के प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगी।

उदाहरण द्वारा समझें: वित्तीय बचत का तुलनात्मक विवरण (₹1,00,000 पीएफ अंशदान पर)

विलंब की अवधि	वर्तमान क्षतिपूर्ति दर	वर्तमान व्यवस्था में देय राशि	विश्वास-2026 दर	विश्वास-2026 में देय राशि	संभावित शुद्ध बचत (राहत)
2 माह	5% प्रति वर्ष	₹ 833	0.25% प्रति माह	₹ 500	₹ 333 (40% छूट)
4 माह	10% प्रति वर्ष	₹ 3,333	0.50% प्रति माह	₹ 2,000	₹ 1,333 (40% छूट)
6 माह	15% प्रति वर्ष	₹ 7,500	1.00% प्रति माह	₹ 6,000	₹ 1,500 (20% छूट)
12 माह (>6 माह)	25% प्रति वर्ष	₹ 25,000	1.00% प्रति माह	₹ 12,000	₹ 13,000 (52% छूट!)

* नोट: ये दरें क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमाएं हैं। वास्तविक देय राशि मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगी।

आवेदन कैसे करें? ईपीएफओ के Employer Portal पर लॉगिन करें एवं "VISHWAS, 2026" मॉडयूल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।

"EPFO का उद्देश्य प्रत्येक पात्र कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना तथा नियोक्ताओं के लिए अनुपालन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है। विश्वास-2026 योजना नियोक्ताओं को पुराने क्षतिपूर्ति मामलों के निस्तारण का एक महत्वपूर्ण अवसर देती है। पात्र नियोक्ता समय सीमा का लाभ उठाकर अपने मामलों का तुरंत समाधान करें।"
-श्री अश्विनी कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1, लखनऊ

सहायता एवं तकनीकी सहायता हेतु संपर्क करें: 0522-2304984, 0522-2304911 | ईमेल ro.lucknow@epfindia.gov.in | ईपीएफओ टोल फ्री हेल्पलाइन 1800-118-005 | वेबसाइट www.epfindia.gov.in

हमसे जुड़ें: @socialepfo @officialepfo @officialepfo @officialepfo

अधिक जानकारी के लिए: इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु ईपीएफओ के परिपत्र संख्या Compliance/E-1203096/2025/2823 दिनांक 11.07.2026 (विषय: "VISHWAS, 2026 for Amicable Settlement of Disputes....") का संदर्भ अपेक्षित है।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! | punjab national bank ...the name you can BANK upon!

तनावग्रस्त अस्तियां प्रबन्धन, मण्डल कार्यालय लखनऊ
विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010
ईमेल:colcksam@pnb.bank.in

अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी हेतु बिक्री सूचना

ई–नीलामी प्रक्रिया से "वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत जो प्रतिभूति (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के साथ पठित है, अचल/चल संपत्तियों की बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना।

जनसाधारण और विशेष रूप से उधारकर्ताओं, जमानतकर्ताओं, बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल/चल संपत्ति(यों) जिन्हें बैंक के पक्ष में गिरवी/बंधक रखा गया था एवं जिनका रचनात्मक कब्जा (सांकेतिक/भौतिक) पंजाब नैशनल बैंक (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है की ई–नीलामी 'जहाँ है जैसा है", "जहां है जो है" और "जो भी हो' के अनुसार निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं), बंधककर्ता(ओं) और जमानतकर्ताओं से प्रतिभूत राशि की वसूली के लिए की जाएगी। बिक्री की तारीख, आरक्षित मूल्य, EMD राशि एवं अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण (कोई अधिभार ज्ञात नही) निम्नानुसार है। ऋणियों/ जमानतकर्ताओं /बंधककर्ताओं का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबन्धों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

बिक्री हेतु बंधक सम्पत्ति का विवरण

धरोहर धनराशि जमा करने हेतु खाते का विवरण : खाता नं. **827200317118A** आईएफएस कोड (IFS code)-PUNB0827200)
नोडल अधिकारी - श्री निलेश कुमार झा, मुख्य प्रबन्धक, तनावग्रस्त अस्तियां प्रबन्धन, मण्डल कार्यालय लखनऊ, मो. +91 9610727388/8400313926
ई–नीलामी की तिथि व समय 24.08.2026 पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक, धरोहर राशि जमा करने की अन्तिम तिथि 23.08.2026

क्र सं	शाखा का नाम खाते का विवरण उधारकर्ता/जमानतकर्ता/ खाता का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विवरण बंधक/सम्पत्ति मालिक का नाम (बंधक सम्पत्ति/यां) (परिसम्पत्ति से सम्बन्धित सभी भाग व एवं हिस्सों सहित)	अ)डिमांड नोटिस की तिथि 13(2)सरफेसी नियम 2002 ब)बकाया राशि स) कब्जा की तिथि, 13(4) सरफेसी नियम 2002 द)कब्जा का प्रकार–रचनात्मक/सांकेतिक/भौतिक कब्जा	अ)आरक्षित मूल्य ब)धरोहर धनराशि स) वृद्धिशील बिड धनराशि
1	शाखाः मण्डल सैम लखनऊ (मूल शाखा एमएम मार्केट बाराबंकी (185800)। खाता का नाम–मेसर्स एम आई हैंडलूम स्टोर (प्रोप मोहम्मद इरफान पुत्र मोहम्मद रसीद) उधारकर्ता–मेसर्स एम आई हैंडलूम स्टोर (प्रोप मोहम्मद इरफान पुत्र मोहम्मद रसीद) पताः ग्राम पी–656, (नया प्लाट नं. 26) पीरबटावन नई बस्ती, बाराबंकी 225001 जमानतकर्ता/बंधककर्ता–1. मोहम्मद रसीद पुत्र मोहम्मद नजीर, 2. मोहम्मद वसीम पुत्र मोहम्मद नजीर दोनों का पता ग्राम पी– 656, (नया प्लाट नं. 26), पीरबटावन नई बस्ती, बाराबंकी 225001,	सभी भाग एवं हिस्सों सहित मकान स्थित खसरा नंबर 26(एम) नई बस्ती पीरबटावन, परगना एवं तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी क्षे. 1188.00 वर्गफीट जोकि मोहम्मद रसीद और मोहम्मद वसीम, दोनों पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद नजीर के नाम पर है। चौहददी (विलेख के अनुसार)–पूर्व–मुस्लिम का मकान, पश्चिम –रियाज का प्लॉट, उत्तर – 12 फीट रोड, दक्षिण–भोग नाथ का खेत।	अ) 17.10.2025 ब)रू. 38,30,633/- दिनांक 30.09.2025 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चे वसूली घटाकर यदि कोई हो तो दि-. 01.10.2025 से प्रभावी स)09.04.2026 द)सांकेतिक कब्जा	अ)रू. 28,76,000/- ब)रू. 2,87,600/ स)रू. 10,000/-
2	शाखाः मण्डल सैम लखनऊ (मूल शाखा छठा मिल, लखनऊ (167000)। खाता का नाम–सुश्री रिजवाना खान पुत्री मोहम्मद रफी खान खाता संख्या –1670009300002156 उधारकर्ता–सुश्री. रिजवाना खान पुत्री मो. रफी खान, पता (1)– फ्लैट नंबर 3, साई प्लाजा, सम्भोली, कुर्सी रोड, अलीगंज, लखनऊ–226024 पता (2)– म0 नं0 266/310, भदेवां वार्ड, भवानीगंज, लखनऊ–226003	सभी भाग एवं हिस्सों सहित संपत्ति मकान नंबर 266/310, क्षेत्रफल 56.877 वर्ग मीटर (612 वर्ग फुट) स्थित भदेवां वार्ड भवानीगंज, लखनऊ, सम्पत्ति मालिक सुश्री रिजवाना खान पुत्री रफीक खान। चौहददी (विलेख के अनुसार) पूर्व–शाहिद अली का मकान, पश्चिम– 6.0 फुट चौड़ी गली, उत्तर–लाला राम सरन रस्तोगी का मकान, दक्षिण– जीतेन्द्र का मकान।	अ)29.04.2025 ब)रू. 17,90,635.50/- दिनांक 31.03.2025 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चे वसूली घटाकर यदि कोई हो तो दि- 01.04.2025 से प्रभावी स) 08-04-2026 द)सांकेतिक कब्जा	अ)रू. 15,50,000/- ब)रू. 1,55,000/- स)रू. 10,000/-
3	शाखाः मण्डल सैम लखनऊ (मूल शाखा जानकीपुरम लखनऊ –100710) खाता का नाम–श्री आशीष द्विवेदी खाता नं. 10076015001063 उधारकर्ताः श्री आशीष द्विवेदी पताःजेबीटीसी कैम्पस, निशातगंज, लखनऊ–226006 मकान नं. 613/पी–005 (के–373), प्लॉट नंबर 5, क्षेत्रफल खसरा 373 (एम) गौरभीट वार्ड, लखनऊ 226020 श्री सत्य नारायण दुबे पुत्र बालेश्वर दुबे पताः जेबीटीसी कैम्पस, निशातगंज, लखनऊ–226006 मकान नं. 613/पी–005 (के–373), प्लॉट नंबर 5, क्षेत्रफल खसरा 373 (एम) गौरभीट वार्ड, फैजुल्लागंज–2, लखनऊ 226020	सभी भाग एवं हिस्सों सहित मकान नंबर 613/पी–005 (के–373), प्लॉट नंबर 5, क्षेत्रफल खसरा नंबर 373 (एम) गौरभीठ वार्ड फैजुल्लागंज–2, लखनऊ क्षेत्रफलः 92.94 वर्गमीटर, संपत्ति मालिक श्री सत्य नारायण दुबे। चौहददीः डीड के अनुसारः पूर्वः रोड 12फीट, पश्चिमः अराजी दीगर, उत्तरः प्लॉट नं. 6, दक्षिणः प्लॉट नं. 4	अ) 05.08.2023 ब)रू. 3,12,121.08 + ब्याज एवं अन्य खर्चे वसूली घटाकर यदि कोई हो तो दिनांक 01.08.2023 से प्रभावी स) 02.11.2023 द)सांकेतिक कब्जा	अ)रू. 16,30,000/- ब)रू. 1,63,000/- स)रू. 10,000/-
4	शाखा–मण्डल सैम लखनऊ (मूल शाखा जीबी मार्ग लखनऊ 029300) खाता–मेसर्स अल्फा इंटरप्राइजेज खाता नं 0293008700033032, 029300SG00000019) उधारकर्ता– मेसर्स अल्फा इंटरप्राइजेज, प्रोपराइटर मोहम्मद रेहान फारूकी पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद कमालुद्दीन, पताः फ्लैट नंबर 102 भूतल, दिशा अपार्टमेंट, नोवेल्टी सिनेमा हॉल के सामने, वार्ड अलीगंज, मौजा शेखपुर, कपूरथला, लखनऊ–226022 उधारकर्ता/बंधककर्ता –मोहम्मद रेहान फारूकी पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद कमालुद्दीन, मकान नंबर 8/167, सेक्टर 8, विकास नगर, लखनऊ–226022.	सभी भाग एवं हिस्सों सहित सम्पत्ति स्थित फ्लैट नंबर 102, भूतल, खसरा नंबर 1712 एवं 1713 के भाग पर निर्मित, बंदोबस्त–192बी, मौजा शेखपुर वार्ड अलीगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश क्षेत्रफलः 65.055 वर्ग मीटर, सम्पत्ति मालिकः मोहम्मद रेहान फारूकी पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद कमालुद्दीन। चौहददी डीड के अनुसार–पूर्व– रास्ता 12 फीट, पश्चिम– श्री कारी मोहम्मद दाऊद की बिल्डिंग, उत्तरः फ्लैट नंबर 101, दक्षिणः फ्लैट नंबर 103	अ) 05.11.2018 ब)रू. 44,30,968.25 दिनांक 31.01.2026 तक + ब्याज दि 01.02.2026 . से प्रभावी एवं अन्य खर्चे वसूली घटाकर यदि कोई हो तों स) 02.03.2019 द)सांकेतिक कब्जा	अ)रू. 22,27,000/- ब)रू. 2,22,700/- स)रू. 0.10 लाख
5	शाखाः मण्डल सैम लखनऊ (मूल शाखा –लखनऊ –026620) खाता–मेसर्स इंगलिश रोज़ वेंडिंग इवेंटस एण्ड कैटरिंग, (प्रोप अब्दुल हमीद) खाता नं. (0266210037217) उधारकर्ता–मेसर्स इंगलिश रोज़ वेंडिंग इवेंटस एण्ड कैटरिंग, प्रोप अब्दुल हमीद, पता 344/77ए, भवानीगंज, जहाजवाला मन्दिर, गांधी चौबूतरा, लखनऊ–226003 उधारकर्ता – श्री अब्दुल हमीद पुत्र श्री अब्दुल हलीम जमानतकर्ता/बंधककर्ता–अब्दुल हलीम पुत्र श्री अब्दुल करीम, दोनों निवासी (1) 344/77ए, भवानीगंज, जहाजवाला मन्दिर, गांधी चौबूतरा, लखनऊ–226003 (2)293/456 पुराना हैदरगंज, चौक, लखनऊ 226003	सभी भाग एवं हिस्सों सहित भूमि एवं भवन निर्मित मकान नं. 344/77ए पर, वार्ड भवानीगंज, तहसील एवं जिला लखनऊ। क्षे. 63.19 वर्गमी सम्पत्ति मालिक अब्दुल हलीम पुत्र श्री अब्दुल करीम । चौहददी डीड के अनुसार –पूरब– 15 फीट चौडी रोड, पश्चिम– श्रीमती सरजू देवी का प्लाट, उत्तर–श्रीमती मुन्नी के पक्ष में मकान का शेष आधा भाग, दक्षिण–शम्भू का मकान।	अ) 11.11.2021 समाचार पत्र में प्रकाशित 06.12.2021 ब)रू. 27,46,577.50/- दिनांक 31.10.2025 को +ब्याज दि-. 01.11.2025 से प्रभावी एवं अन्य खर्चे वसूली घटाकर, यदि कोई हो तो स) 16.02.2022 द) सांकेतिक कब्जा	अ)रू. 24,69,250/- ब)रू. 2,46,925/- स)रू. 0.10 लाख
6	शाखाः मण्डल सैम लखनऊ (मूल शाखा –लखनऊ –026620) खाता–मेसर्स बजरंग, खाता नं. 0266210037226 उधारकर्ता–मेसर्स बजरंग, प्रोपराईटर श्री मनोज कुमार गुप्ता, पता–74/51 विजय नगर, नाका हिन्डोला, लखनऊ –226004 उधारकर्ता एवं बंधककर्ता– श्री मनोज कुमार गुप्ता पुत्र श्री कृष्ण चन्द्र गुप्ता, निवासी 1. 74/51 विजय नगर नाका हिंडोला लखनऊ –226004। 2. 115, अटरिया अंशिका, तहसील– सिधौली जिला–सीतापुर –261302, 3. फ्लैट नंबर एफटी–3 , तीसरी मंजिल, भूखंड नंबर 28 और 29, बब्बू वली गली, डालीगंज, वार्ड–डालीगंज लखनऊ।	सभी भाग एवं हिस्सों सहित सम्पत्ति स्थित फ्लैट नं. एफ टी–3, तृतीय तल, भूखण्ड नं. 28 एवं 29, बाबू वाली गली, डालीगंज, लखनऊ। क्षेत्रफलः 89.405 वर्गमी., जोकि श्री मनोज कुमार गुप्ता पुत्र श्री कृष्णचन्द्र गुप्ता के नाम है। चौहददी– पूरब– फ्लैट नं. एस टी–3, पश्चिमः नूर मोहम्मद का मकान, उत्तर –श्री नन्द कुमार वर्मा का मकान, दक्षिण – आसमान की ओर खुला, ।	अ) 01.05.2019 ब)रू 41,81,995.50/- (दिनांक 31-03-2026 को + ब्याज दिनांक 01.04.2026 से प्रभावी एवं अन्य खर्चे, घटाओं वसूली यदि कोई हो तो, स) 09.07.2019 द)सांकेतिक कब्जा	अ)रू. 19,31,000/- ब)रू. 1,93,100/- स)रू. 10,000/-
7	शाखाः मण्डल सैम लखनऊ (मूल शाखा अमेठी, लखनऊ – 367500) खाता का नाम–मेसर्स जय अम्बे ट्रेडर्स उधारकर्ताः मेसस जय अम्बे ट्रेडर्स (प्रोप– श्री विजय कुमार, पुत्र श्री राज कुमार) पताः गंगागंज, नगराम रोड, सलेमपुर, लखनऊ–227125 2. श्री विजय कुमार, पुत्र श्री राज कुमार (प्रोप) पताः 553, आदमपुर, नौबस्ता, बहरौली, लखनऊ–227308 3. श्री राज कुमार, पुत्र राम कैलाश (जमानतकर्ता/बंधककर्ता) पताः 553, आदमपुर, नौबस्ता, बहरौली, लखनऊ– 227308 4. श्री सतीश कुमार, पुत्र श्री ललिता प्रसाद (जमानतकर्ता) पताः जलौदी नगर, सलेमपुर, अमेठी, लखनऊ–227125	सभी भाग एवं हिस्सों सहित संपत्ति स्थित खसरा संख्या 1444, 1445, 1447, 1448, 1449 का 1/4 भाग (नया खसरा संख्या 2494), ग्राम–सलेमपुर, परगना और तहसील–मोहनलालगंज, जिला– लखनऊ –226501 जोकि श्री राज कुमार, पुत्र श्री कैलाश के नाम पर है। क्षेत्रफलः 375 वर्ग मीटर डीड के अनुसार चौहददी–पूर्व –सिया राम ब्रिक फील्ड, पश्चिमः नगराम रोड, उत्तरः सड़क, दक्षिणः श्री राम का मकान	अ)17.08.2023 ब)रू. 20,10,912/- + ब्याज एवं अन्य खर्चे वसूली घटाकर यदि कोई हो तो दिनांक 01.08.2023. से प्रभावी स)31.10.2023 द)सांकेतिक कब्जा	अ)रू. 69,99,000/- ब)रू. 6,99,900/- स)रू. 0.10 लाख
8	शाखाः मण्डल सैम लखनऊ–(मूल शाखा सप्रू मार्ग लखनऊ (030220) खाता का नामः –मैसर्स इंडियन इन्टरप्राइजेज (0302250011884) उधारकर्ताःमैसर्स इंडियन इन्टरप्राइजेज (प्रोप. श्रीमती सरोज सिंह) पताः ई–3837, राजाजीपुरम लखनऊ–226017 श्रीमती सरोज सिंह पत्नी श्री जोगेन्द्र सिंह (प्रोप. मेसर्स इंडियन इन्टरप्राइजेज), पताः ई–3837, राजाजीपुरम, लखनऊ –226017 जमानतकर्ता/बंधककर्ता–जोगेन्द्र सिंह पुत्र स्व. स्वर्गीय राजेंद्र सिंह, ई–3837, राजाजीपुरम लखनऊ–226017	प्लॉट नंबर –7, मिनजुमला खसरा नंबर 1019, ग्राम पारा, वार्ड– आलमनगर, तहसील एवं जिला लखनऊ, उ.प्र. क्षेत्रफल 66.914 वर्ग मीटर चौहददीः (डीड के अनुसार)– पूर्वः 20 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिमः प्लॉट दीगर, उत्तरः विक्रेता का प्लॉट, दक्षिणः प्लॉट नंबर–8, सम्पत्ति मालिक जोगेंद्र सिंह	अ) 05.05.2019 ब)रू. 10,46,904/- + ब्याज एवं अन्य खर्चे वसूली घटाकर यदि कोई हो तो दि 01.04.2019 से प्रभावी स)25.07.2019 द)सांकेतिक कब्जा	अ)रू. 11,25,900/- ब)रू. 1,12,590/- स)रू. 10,000/-
9	शाखाः मण्डल सैम लखनऊ (मूल शाखा हजरतगंज, सप्रू मार्ग (030220) खाताः मेसर्स पुष्पा गारमेंट्स, खाता नं. 0302250011918 उधारकर्ता – मेसर्स पुष्पा गारमेंट्स, (प्रोप. श्री मोनू सोनी) पताः 233/4, विक्रम नगर, पारा, लखनऊ, उ.प्र.–226017 2. श्री मोनू सोनी, (प्रोप मेसर्स पुष्पा गारमेंट्स) पताः 233/4, विक्रम नगर, पारा, लखनऊ, उ.प्र. 226017 जमानतकर्ता– श्रीमती जया शर्मा पुत्री विजय राज शर्मा (पत्नी श्री कृष्णा कुमार), पताः म.न. सी–4943 ब्लॉक सी, सेक्टर 13, राजाजीपुरम वार्ड, हरदीन राम नगर, लखनऊ।	मकान नंबर सी–4943 ब्लॉक सी, सेक्टर 13, राजाजीपुरम वार्ड, हरदीन राम नगर, लखनऊ। क्षेत्रफलः 36.05 वर्ग मीटर चौहददी (डीड के अनुसार): पूर्वः 10 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिमः मकान नंबर सी–5333, उत्तरः मकान नंबर सी–4943/1, दक्षिणः मकान नंबर सी–4941 सम्पत्ति मालिकः श्रीमती जया शर्मा	अ)26.07.2019 ब)रू. 6,75,152/- +ब्याज एवं अन्य खर्चे वसूली घटाकर यदि कोई हो तो दिनांक 01.05.2019 से प्रभावी स)) 15.10.2019 द)सांकेतिक कब्जा	अ)रू. 18,43,000/- ब)रू. 1,84,300/- स)रू. 0.10 लाख
10	शाखाः मण्डल सैम लखनऊ–(मूल शाखा सप्रु मार्ग, लखनऊ 030220) खाताः मेसर्स हर्ष इन्टरप्राइजेज उधारकर्ताः मेसर्स हर्ष इन्टरप्राइजेज प्रोपराईटर अमर सिंह पताः एफ–3781 राजाजीपुरम लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226017 प्रोपराईटर/बंधककर्ता–अमर सिंह पुत्र तारा सिंह पताः एफ–3781 राजाजीपुरम लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226017 223 आदर्श नगर, शिवदासपुर, मंडुवाडीह, वाराणसी 221103	सभी भाग एवं हिस्सों सहित प्लॉट संख्या 19–ए (प्लॉट संख्या 19 का जुग भाग) जोकि खसरा संख्या 352 का मिंजुमला है, वार्ड हैदरगंज, ग्राम व मोहल्ला भपटामऊ, लखनऊ क्षेत्रफल 57.166 वर्ग मीटर। चौहददी डीड के अनुसारः पूर्वः प्लॉट संख्या 19 का शेष भाग (विक्रेता) पश्चिमः प्लॉट संख्या पी–21, उत्तरः 09 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिणःप्लॉट संख्या पी–20, सम्पत्ति मालिक अमर सिंह।	अ) 12-06-2019 ब)रू. 15,22,944.55/- दिनांक 31.03.2026 का+ ब्याज एवं अन्य खर्चे वसूली घटाकर यदि कोई हो तो दिनांक 01.04.2026 से प्रभावी स) 15-10-2019 द)सांकेतिक कब्जा	अ)रू. 11,60,000/- ब)रू. 1,16,000/- स)रू. 10,000/-
11	शाखाः मण्डल सैम लखनऊ–(मूल शाखा अमीनाबाद(026600) खाताः मो. इरफान पुत्र मो. याकूब एवं श्रीमती सकीना खाता नं. .0266300013110 उधारकर्ताः स्वर्गीय मो. इरफान पुत्र मो. याकूब एवं स्वर्गीय श्रीमती सकीना पत्नी मो. याकूब के विधिक उत्तराधिकारी – 1. मो. रफीक पुत्र मो. याकूब, 2. मो. जुबैर पुत्र मो. याकूब 3. श्री वकील अहमद पुत्र मो. याकूब सभी निवासी 10, गायत्री नगर, सीतापुर रोड, निकट अवध टेन, नौबस्ता खुर्द, लखनऊ–226021	साम्यिक बंधक सभी भाग एवं हिस्सों सहित – मकान नं. 614पी 011 (क279), प्लॉट नंबर 11, ख नंबर 279, रहीम नगर, डुडौली, फैजुल्लागंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 37.17 वर्ग मीटर जोकि स्वर्गीय श्रीमती सकीना पत्नी मो. याकूब के नाम पर है। चौहददी (डीड के अनुसार): पूर्वः अमन टेलर का मकान, पश्चिमः 15 फीट सड़क, उत्तरः रितेश कुमार पांडे का प्लॉट, दक्षिणः शिव कुमार का मकान।	अ) 11-03-2026 ब)रू. 8,64,931.12/- - दिनांक 28.02.2026 को+ ब्याज एवं अन्य खर्चे वसूली घटाकर यदि कोई हो तो दि- 01.03.2026 से प्रभावी स) 18-05-2026 द)सांकेतिक कब्जा	अ)रू. 17,49,000/- ब)रू. 1,74,900/- स)रू. 10,000/-
12	शाखाः मण्डल सैम लखनऊ–(मूल शाखा अमीनाबाद(026600) खाताः M/s- Nur Creation (प्रोपराईटर– श्रीमती नूपुर रस्तोगी पत्नी श्री उमेश कुमार रस्तोगी) खाता नं0 0266250036458 उधारकर्ताःM/s- Nur Creation (प्रोपराईटर– श्रीमती नूपुर रस्तोगी पत्नी श्री उमेश कुमार रस्तोगी) पताः 15–16, अमीनाबाद, लखनऊ (उ.प्र..)–226018, प्रोपराईटर– श्रीमती नूपुर रस्तोगी, पत्नी श्री उमेश कुमार रस्तोगी) जमानतकर्ता– श्री उमेश कुमार रस्तोगी, पुत्र स्वर्गीय श्री नवल किशोर रस्तोगी, दोनों का पता (1). 15–16, अमीनाबाद, लखनऊ(उ.प्र..)–226018., पता (2). 466/6ए (पुराना नंबर 466/47), पीर बुचहारा चौक, लखनऊ (उ.प्र..)–226003	सभी भाग एवं हिस्सों सहित – 466/047(060)/6ए, पीर बुखारा, चौक, लखनऊ द्वारा विक्रय विलेख 1166 दिनांक 19.03.1979, क्षेत्रफल 3672.50 वर्गफुट, सम्पत्ति मालिक– उमेश कुमार रस्तोगी पुत्र स्व0 श्री नवल किशोर रस्तोगी, चौहददी– (विलेख के अनुसार)–पूर्व–आराजी इमामबाड़ा, पश्चिम–रोड, उत्तर–आराजी मिन मुकिरा,दक्षिण– आराजी श्रीमती सावित्री मिश्रा।	अ) 19-01-2026 ब)रू. 10,07,946/- दिनांक 30.11.2025 को+ ब्याज एवं अन्य खर्चे वसूली घटाकर यदि कोई हो तो दिनांक 01.12.2025, से प्रभावी स) 09-04-2026 द)सांकेतिक कब्जा	अ)रू. 81,75,000/- ब)रू. 8,17,500/- स)रू. 10,000/-
	चल सम्पत्ति की नीलामी का स्थल-तनावग्रस्त अस्तियां प्रबन्धन विभाग, पंजाब नैशनल बैंक, मण्डल कार्यालय , विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ			
13	शाखाः मण्डल सैम लखनऊ–(मूल शाखा बाराबंकी) खाताः मैसर्स इंडियन केमिकल्स एंड हर्बल प्रोडक्ट खाता नं0 368200JT00000054, 0539008700001634 उधारकर्ताः मेसर्स इंडियन केमिकल्स एंड हर्बल प्रोडक्ट (प्रो. अहमद जीशान), पता– बी 91 लखपेराबाग, निकट राणा कोचिंग, बाराबंकी–225001, प्रोपराईटर श्री अहमद जीशान, पता– बी 91, लखपेराबाग, राणा कोचिंग के पास, बाराबंकी–225001	दृष्टिबंधक चल सम्पत्ति Auction Vehicle Details: UP32 QN4760, TATA YODHA 1200 (Reg Date:26.02.2022)	अ) 28.09.2024 ब)रू. 4,72,486.31 दिनांक 28.09.2024 को+ ब्याज एवं अन्य खर्चे स) 12.02.2026 द)सांकेतिक कब्जा	अ)रू. 3,07,800.00 ब)रू. 30,780.00 स)रू. 10,000/-

नोट : प्रतिभूत लेनदार को ज्ञात अधिभार का विवरण : कोई अतिरिक्त अधिभार ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें– बिक्री वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम एवं शर्तें की पुष्टिकरण के अधीन होगी। 1. सम्पत्तियों की बिक्री "जहाँ है वैसा है", "जैसा है वैसा है" और "जो भी हो" के आधार पर की जायेगी। 2. बंधक सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्दिष्ट जानकारी बैंक के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अंकित किये गये है। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी त्रुटि गलत बयान या बिक्री सम्बन्धी घोषणा में हुई चूक हेतु जवाबदेही नही होगा। 3. सभी आवश्यक बिल/सरकारी शुल्क यानी टेलीफोन, बिजली, हाउस टैक्स आदि यदि कोई शेष हो तो, नीलामी क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा। 4. बिक्री प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई–नीलामी प्लेटफार्म वेबसाइट https://baanknet.com पर की जायेगी। 5. विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://baanknet.com एवं www.pnbindia.in. में दिए गए लिंक को देखें।

बिक्री सूचना सरफेसी एक्ट 2002 के अधीन नियम 8(6) एवं 9(1) के अन्तर्गत वैधानिक चेतावनी है।

दिनांक 01.08.2026 स्थान लखनऊ

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक, प्रतिभूत लेनदार